

पत्र सं० 10/98/2012-एसईजेड /

दिनांक: 03.11.2014

### परिपत्र

वाणिज्य विभाग के “कार्य को सुगम” बनाने की पहल के अनुसरण में विकास आयुक्त कार्यालय और वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र के यूनिटों और विकासकर्ताओं के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण आवेदनों यथा अनुमोदनों / सूचनाओं / परिपत्रों की पहचान की गई है:-

#### विकासकर्ताओं के लिए:

1. औपचारिक अनुमोदन पत्र (फॉर्म सी-1) की वैधता अवधि का विस्तार
2. अनौपचारिक अनुमोदन पत्र (फॉर्म सी-2) की वैधता अवधि का विस्तार
3. अधिकृत कार्य के लिए अनुमोदन (फॉर्म सी-7)
4. तिमाही/अर्धवार्षिक रिटर्न (फॉर्म ई)
5. जॉब वर्क के लिए अनुमोदन (उप संविदा कार्य)

#### यूनिट के लिए:

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट लगाने के लिए आवेदन;
2. अनुमोदन पत्र के नवीकरण के लिए अनुरोध;
3. अनुमोदन पत्र के विस्तार के लिए अनुरोध;
4. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट जमा करना;
5. विदेशों में स्वर्णाभूषण प्रदर्शनी की सूचना;
6. विदेशों में स्वर्णाभूषण प्रदर्शनी की अनुमति;
7. आई टी यूनिट द्वारा डी आर / बी सी पी केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमति;
8. आई टी यूनिट द्वारा डाटा बैंक उप के संचालन के लिए अनुमति;
9. एस ई जेड योजना से बाहर होने के लिए (अनौपचारिक अनुमोदन) की मंजूरी;

10. जॉब वर्क के लिए अनुमोदन (उप संविदा कार्य)
11. उत्पादन शुरू करने की तारीख संबंधी सूचना
12. शिकायत फॉर्म (सभी उद्यमियों के लिए उपलब्ध)

उपर्युक्त के संबंध में, सभी एसईजेड विकासकर्ताओं और एसईजेड यूनिट, एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में वांछित आवेदन और / या रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक आधार पर जमा कर सकते हैं, जिसके लिए एनएसडीएल या 01 नवम्बर, 2014 से आवश्यक व्यवस्था कर ली है।

ह०  
राकेश कुमार  
उप विकास आयुक्त

सेवा में,

1. निजी सहायक, विकास आयुक्त, एनएसईजेड – सूचनार्थ
2. निदेशक वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
3. सभी सहायक विकास आयुक्त
4. सभी एसईजेड विकासकर्ता और एसईजेड यूनिट
5. नोड्डा विकास आर्थिक क्षेत्र वेबसाइट